उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
(CIN: U32201UP1999SGC024928)

संख्या–1125–शि0जां0–05(ई) / पाकालि / 18–7(32)05ई / 11 दिनांक 20/7/ 2018

आदेश

श्री हुसन लाल राव (92019) तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बाँदा को प्राक्कलन स्वीकृति, स्थायी विच्छेदन के निस्तारण एवं एक उपभोक्ता श्री राम प्रसाद के संयोजन में अनियमितता बरतने, कार्यालय सहायक को नियम विरूद्ध तरीके से कार्य आबंटन करने, निधि विचलन करने तथा अनाधिकृत रूप से अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने के परिपेक्ष्य में प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुये उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने हेतु कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप सं0–5789–शि0जाँ0–05द / पाकालि–2005–7(183)–05द / 2005 दिनांक 31.12.2005 द्वारा श्री सोमेन्द्र प्रताप सिंह (74085), उप महाप्रबन्धक विद्युत वितरण मण्डल, बाँदा को जाँच अधिकारी नियुक्त करते हुये निम्नवत् आरोपित किया गयाः–

"आरोप–पत्र

विद्युत वितरण खण्ड, बाँदा में अधिशासी अभियन्ता (राजस्व) एवं अधिशासी अभियन्ता (वितरण) के पद पर क्रमशः दिनांक 27.09.2003 से 04.04.2005 तक तथा दिनांक 04.12.2004 से 04.04.2005 तक की अवधि में कार्यरत रहते हुये, आपके द्वारा की गयी विभिन्न प्रकार की गम्भीर अनियमिततायें संज्ञान में आयी है जिसके कारण निगम को वित्तीय हानि हुई है। अतः आपको निम्नवत् आरोपित किया जाता हैः–

आरोप संख्या–1

आप द्वारा प्राक्कलन संख्या 119, 120, 121, 127 एवं 128 / 2004–2005 को सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी से हस्ताक्षर न कराकर उनके स्थान पर अवर अभियन्ता के हस्ताक्षर से ही आपके द्वारा उक्त प्राक्कलन स्वीकृत किया गया। इस प्रकार अकारण विभागीय प्रक्रिया को आपके द्वारा नजरअंदाज किया गया, जिसके लिये आप नियमों के उल्लंघन के दोषी हैं।

आरोप संख्या–2

आपने श्री सीताराम गौतम पुत्र श्री रामस्वरूप गौतम, निवासी खुरहण्ड (अतरा) जनपद–बाँदा ने अपने प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के ऊपर से जा रही विद्युत लाइन की शिफ्टिंग हेतु प्रार्थना पत्र दिया। आपने अवर अभियन्ता से ही हस्ताक्षर कराकर कुल धनराशि रू0 46,255.00 के विरूद्ध मात्र रू0 5966.00 जमा कराकर लाइन शिफ्टिंग के आदेश दिये गये। उपमहाप्रबन्धक, विद्युत वितरण मण्डल, बाँदा ने अपने कार्यालय के पत्र सं0–824–वि0वि0मं0बा0 / ई–13 दिनांक 23.03.2005 द्वारा आपसे स्पष्टीकरण माँगा था जिसका आपने कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार आपने विभाग को रू0 40,289.00 कम जमा कराकर निगम को आर्थिक क्षति पहुँचाया है जिसके लिये आप दोषी है।

आरोप संख्या–3

आपने श्री राम प्रसाद, निजी नलकूप उपभोक्ता के संयोजन पर की गयी जाँच के विरूद्ध राजस्व निर्धारण की कुल धनराशि रू0 1,20,396.00 का बिल निर्गत किया और डिमाण्ड नोटिस भी भेजा, परन्तु आपने

कार्यालय के पत्र सं0–5171–वि0वि0मं0बा0/ई–13 दिनांक 13.10.2004 द्वारा निर्धारण को समाप्त कर दिया जोकि आपके अधिकार क्षेत्र का कार्य ही नहीं था। इस प्रकार आप अपने पद का दुरूपयोग करने के दोषी हैं।

आरोप संख्या–4

आपने मो0 शमीम, खण्डीय लेखाकार (राजस्व) का कार्य देखने हेतु नियम विरूद्ध श्री संजय सिंह, कार्यालय सहायक को अधिकृत किया ताकि आप अपने मन मुताबिक उनसे दबाव में कार्य करवा सके। इस प्रकार आप अपने पद का दुरूपयोग करने के दोषी हैं।

आरोप संख्या–5

राजस्व वसूली कार्य को गति प्रदान करने तथा संसाधनों की व्यवस्था हेतु निगम ने रू0 2,00,000.00 विद्युत वितरण खण्ड, बाँदा को आवंटित किया था। आपने इस धनराशि को आवंटित मद में व्यय न कर किसी ठेकेदार को भुगतान कर दिया। इस प्रकार निगम द्वारा अवमुक्त धनराशि का विचलन कर अन्य मद में भुगतान किया गया, जिसके लिये आप दोषी हैं।

आरोप संख्या–6

स्थायी विच्छेदनों के निस्तारण में आपके द्वारा भेदभावपूर्ण नीति अपनायी गयी जिससे कुछ प्रकरणों में सम्बन्धित सहायक, अवर अभियन्ता, खण्डीय लेखाकार (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा निस्तारित करने के बाद भी आपके स्तर से निस्तारित नहीं किया गया, इस प्रकार आप अपने पद का दुरूपयोग करने के दोषी हैं।

आरोप संख्या–7

आपके द्वारा कुछ पत्रों को कैम्प रजिस्टर से निर्गत कराया गया जबकि उपमहाप्रबन्धक, विद्युत वितरण मण्डल, बाँदा द्वारा जानकारी करने पर खण्ड मे कैम्प डिस्पैच रजिस्टर का कोई अस्तित्व ज्ञात नहीं हो सका। इससे आपकी इस धारणा की भी पुष्टि होती है कि आपने अपने निजी स्वार्थ हेतु तथाकथित कैम्प रजिस्टर खोल रखा था। इस प्रकार आप अपने पद का दुरूपयोग करने के दोषी है।

आरोप संख्या–8

आप दिनांक 05.04.2005 से 14.04.2005 तक आकस्मिक अवकाश पर गये, परन्तु अभी तक अपने कार्य पर वापस नहीं लौटे। उपमहाप्रबन्धक, विद्युत वितरण मण्डल, बाँदा के कार्यालय के टेलीग्राम दिनांक 21.04.2005, पत्र सं0–1151–वि0वि0मं0बा0/पी0एफ0, दिनांक 23.04.2005 एवं पत्र सं0–1516–वि0वि0मं0बा0/पी0एफ0, दिनांक 25.05.2005 द्वारा आपको तुरन्त कार्य पर वापस लौटने के निर्देश भी दिये गये, परन्तु इनका कोई भी उत्तर आपने नहीं दिया है, इस प्रकार आपके द्वारा अनुशासनहीनतापूर्ण गैर जिम्मेदाराना कृत्य किया गया, जिसके लिये आप दोषी हैं।

जाँच अधिकारी ने अपने पत्र सं0–4410/वि0वि0मं0बाँ0/पी0एफ0 दिनांक 25.01.2006 द्वारा अवगत कराया कि उनके कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्रों का भी श्री राव, अधिशासी अभियन्ता ने कभी उत्तर भी नहीं दिया, जो पत्र उनको वितरित नहीं किया जा सका उसे डाक–तार विभाग द्वारा निम्नांकित टिप्पणी के साथ उनके कार्यालय को वापस किया गया:–

"प्राप्तकर्ता के घरवालों का कहना हैं कि प्राप्तकर्ता अपनी ड्यूटी पर हैं, पता देने पर कहा–पता मालूम नहीं, अतः वापस"

इस सम्बन्ध में जाँच अधिकारी ने यह अवगत कराया कि श्री राव को आरोप पत्र तामील कराना सम्भव नहीं है अतः आरोप–पत्र समस्त संलग्नकों सहित इस अनुरोध के साथ वापस किया जाता है कि श्री राव की माह अप्रैल 2005 से लगातार अनुपस्थिति यही सिद्ध करती है कि श्री राव, अधिशासी अभियन्ता (राजस्व) निगम की सेवा करने के इच्छुक नहीं है, क्योंकि उन्होंने अवकाश बढ़ाने सम्बन्धी न तो कोई अवकाश प्रार्थना–पत्र ही प्रेषित किया है न ही उनके द्वारा प्रेषित पत्रों का कोई उत्तर ही दिया गया है, जिससे उनके सेवा पर वापस लौटने की सम्भावनाऐं नगण्य हैं। जाँच अधिकारी ने प्रकरण पर कारपोरेशन स्तर से यथेष्ठ कार्यवाही हेतु वापस प्रेषित किया।

श्री हुसन लाल राव के प्रकरण को कारपोरेशन पत्र सं0–2361–शि0जाँ–05द/पाकालि/10–7(73) 05द/05 दिनांक 28.08.2010 द्वारा जांच समिति–द्वितीय को सन्दर्भित किया गया। जांच समिति–द्वितीय ने श्री हुसन लाल राव को पुनः आरोप पत्र सं0–1837–मु0अ0जां0स0द्वि0/पाकालि–11/342(01)–08/10 (2361–05द) दिनांक 26.03.11 मुख्य अभियन्ता (मा0सं0 एवं का0प्र0), द0वि0वि0नि0लि0, आगरा के माध्यम से पत्र दिनांक 26.03.11 द्वारा पावती हेतु प्रेषित किया जिसके प्राप्त न होने पर आरोप पत्र की पावती हेतु विभिन्न पत्र निर्गत किये गये जो निम्नवत् हैं:–

1. सं0–2001–मु.अ.जॉ.स.द्वि/पाकालि, दिनांक 03.05.11
2. सं0–2479–मु.अ.जॉ.स.द्वि/पाकालि, दिनांक 11.08.11
3. सं0–2717–मु.अ.जॉ.स.द्वि/पाकालि, दिनांक 03.10.11
4. सं0–2829–मु.अ.जां.सं.द्वि/पाकालि, दिनांक 01.11.11
5. सं0–3042–मु.अ.जॉ.स.द्वि/पाकालि, दिनांक 19.12.11

इसी क्रम में अधीक्षण अभियन्ता, बांदा ने अपने पत्र सं0–1907/वि0वि0मं0बां0 दिनांक 21.10.13 द्वारा सूचित किया कि श्री राव को आरोप पत्र उनके निवास के पते पर पावती हेतु प्रेषित किया गया जो डिलीवर न होने की स्थिति में वापस आ गया।

जाँच समिति ने अपने पत्र सं0–2190–मु0अ0जां0स0द्वि0/दिनांक 22.10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बांदा को श्री राव को आरोप पत्र पावती हेतु भेजा जिसके क्रम में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बांदा ने अपने पत्र सं0–3593/वि0वि0खं0,बाँदा/पीएफ दिनांक 21.10.13 द्वारा सूचित किया कि श्री हुसन लाल राव (92019), तत्कालीन अधि0अभि0 (राजस्व), वि0वि0मं0, बांदा दिनांक 04.12.2004 से दिनांक 04.04.2005 तक कार्य पर थे, तत्पश्चात दिनांक 05.04.2005 से आज दिनांक 21.10.2013 तक उपस्थित नहीं हुए।

जाँच समिति–द्वितीय ने श्री राव पर आरोप–पत्र की तामीली न होने के दृष्टिगत उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बन्धित प्रकरण की जाँच का निष्पादन सम्भव न हो पाने के कारण प्रकरण कारपोरेशन के स्तर से निस्तारित करने हेतु सम्बन्धित केस पत्रावली मूलरूप में अपने पत्र सं0–2220–मु0अ0–जॉ0स0द्वि0/पाकालि/2013/342–(01)–08/10/(2361–05द) दिनांक 30.10.2013 द्वारा कारपोरेशन को वापस प्रेषित की।

जाँच आख्या के कारपोरेशन स्तर पर परीक्षणोपरान्त श्री हुसन लाल राव (92019), अधिशासी अभियन्ता के 08 वर्षों से अधिक समय से कार्यस्थल से अनुपस्थित के दृष्टिगत उनकी सेवा समाप्ति प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु उ0प्र0 सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली,1999 के प्रस्तर 3 के अनुसार Removal/ Dismissal

वृहद दण्ड की श्रेणी के अन्तर्गत आने के दृष्टिगत श्री राव के विरूद्ध जाँच समिति–प्रथम के माध्यम से जाँच कार्यवाही संस्थित करते हुए आरोप पत्र तैयार कर आरोपी सरकारी सेवक को व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय अभिलेखों में उल्लिखित पते पर तामील कराये जाने तथा व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा तामील किये जाने हेतु उसकी तामीली सुनिश्चित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही हेतु कारपोरेशन पत्र सं0–894–शि0जाँ0–05ई/पाकालि–14 दिनांक 07.05.2014 द्वारा प्रेषित जाँच समिति–प्रथम को प्रेषित किया गया।

जाँच समिति ने अपने पत्र सं0–609/सं0–1109/जॉ0स0/(5/14) दिनांक 01.07.2015 द्वारा श्री राव के सम्बन्ध में जाँच कार्यवाही कर जाँच आख्या कारपोरेशन को प्रेषित की जिसमें यह सूचित किया कि श्री राव को आरोप पत्र सं0–1837–मु0अ0जाँ0स0–द्वितीय/पाकालि/2011/{342(1)–08/10}(2361–05द–08/10) दिनांक 26.03.2011 व्यक्तिगत रूप से हस्तगत कराने हेतु उनके आवास–1/1752/1ए, ओजपुरा, सहारनपुर के पते पर कार्यालय के पत्रांक–144/सं0–1109/जाँ0स0प्र0 दिनांक 21.02.2015 के माध्यम से कार्यालय में कार्यरत श्री शिव वचन, चपरासी को भेजा गया। आरोप पत्र हस्तगत कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम, सहारनपुर का भी सहयोग लिया लेकिन श्री राव उक्त पते पर नहीं मिले तथा श्री हुसन लाल राव के भाई श्री रोशन लाल राव ने लिखित रूप से निम्नवत् सूचित किया:–

"सम्बन्धित हुसन लाल राव वर्तमान में इस पते पर उपलब्ध नहीं है न ही उनके निवास स्थान की मुझे कोई जानकारी है। जो मेरे भाई हैं।

रोशन लाल राव
1/1752/1ए ओजपुरा,
सहारनपुर"

तत्पश्चात दिनांक 09.04.2015 के समाचार पत्रों "दैनिक जागरण" एवं "अमर उजाला" (सहानपुर क्षेत्र से प्रकाशित होने वाले) में आरोप पत्र प्रकाशित कराकर श्री राव को आरोप–पत्र की सूचना दी गयी एवं आरोपों का उत्तर देने हेतु एक माह का समय निश्चित किया गया, लेकिन श्री राव के स्तर से कोई उत्तर/सूचना जाँच समिति को प्राप्त नहीं हुई।

समिति ने यह मन्तव्य व्यक्त किया कि जाँच समिति के कर्मचारी द्वारा आरोपी के भाई श्री रोशन लाल राव को आरोप–पत्र के सम्बन्ध में बताया गया तथा समाचार पत्रों में भी आरोप–पत्र प्रकाशित कराया गया अतएव आरोपी सेवक श्री राव को उसके भाई एवं समाचार पत्र के माध्यम से आरोप–पत्र की जानकारी मिल चुकी हैं लेकिन श्री राव जानबूझकर आरोप–पत्र का उत्तर नहीं देना चाहते हैं। श्री राव द्वारा उत्तर न दिये जाने की स्थिति में उन पर आरोप सं0–1 से 8 सिद्ध पाये गये।

जाँच समिति से प्राप्त जाँच आख्या के कारपोरेशन स्तर पर परीक्षणोपरान्त श्री हुसन लाल राव (92019), अधिशासी अभियन्ता की विद्युत वितरण खण्ड, बाँदा में अधिशासी अभियन्ता (राजस्व) एवं अधिशासी अभियन्ता (वितरण) के पद पर क्रमशः दिनांक 27.09.2003 एवं 04.04.2005 तक तथा दिनांक 04.12.2004 से 04.04.2005 तक की अवधि में, उन्हें जाँच समिति द्वारा आरोप पत्र में वर्णित गंभीर अनियमितताओं तथा कारपोरेशन को आर्थिक क्षति पहुँचाने, धन का विचलन करने, अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर निर्धारण समाप्त करने, अपने पद का दुरूपयोग करने, उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने, दूषित कार्यप्रणाली अपनाने, दिनांक 05.04.2005 से लगातार कार्यालय से अनुपस्थित रहने की अनियमितताऐं सिद्ध पाये जाने पर उनको "सेवा से

हटाना जो भविष्य में नियोजन से निरर्हित नहीं करता हो" का दण्ड प्रदान करने का निर्णय लिया गया। श्री राव से प्रस्तावित दण्ड "सेवा से हटाना जो भविष्य में नियोजन से निरर्हित नहीं करता हो" हेतु कारपोरेशन पत्र सं0–1497– शि0जां0 / पाकालि–15 दिनांक 18.12.2015 द्वारा 14 दिनों की समयावधि प्रदान करते हुए अभ्यावेदन माँगे जाने हेतु पत्रों को क्रमशः विद्युत वितरण खण्ड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, बाँदा एवं श्री राव के निवास 1 / 1752 / 1ए, ओजपुरा, सहारनपुर के पते पर प्रेषित किया गया तथा अभ्यावेदन माँगे जाने हेतु पत्र की दो प्रतियाँ कारपोरेशन पत्र सं0–1498–शि0जां0 / पाकालि–15 दिनांक 18.12.2015 द्वारा उनके नियन्त्रक अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बाँदा के माध्यम से तामीली हेतु प्रेषित की गयीं।

श्री राव से उपरोक्तानुसार माँगे गये अभ्यावेदन का उत्तर प्राप्त न होने पर उन्हें कारपोरेशन द्वारा प्रस्तावित दण्ड "सेवा से हटाना जो भविष्य में नियोजन से निरर्हित नहीं करता हो" हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु सूचना दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" लखनऊ, सहारनपुर बाँदा संस्करण एवं "Hindustan Times" लखनऊ में दिनांक 17.11.2017 को प्रकाशित करायी गयी। परन्तु निर्धारित समय–सीमा समाप्त हो जाने के उपरान्त भी श्री राव द्वारा अपना अभ्यावेदन कारपोरेशन को प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि आरोपी श्री राव की कारपोरेशन की सेवाओं में कोई रूचि नहीं है। इस प्रकार श्री राव कारपोरेशन को आर्थिक क्षति पहुँचाने, धन का विचलन करने, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्धारण समाप्त करने, अपने पद का दुरूपयोग करने, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने, दूषित कार्य प्रणाली अपनाने, कार्यालय से बिना सूचना के लगातार दिनांक 05.04.2005 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये गये हैं।

अतः आरोपी श्री हुसन लाल राव (92019) तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, बाँदा के विरूद्ध उक्त अनियमितताऐं सिद्ध पाये जाने एवं अनाधिकृत रूप से दीर्घ अवधि से अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने के कारण, उ0प्र0 सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1999 के अनुसार, उनको कारपोरेशन की "सेवा से हटाना जो भविष्य में नियोजन से निहर्रित नहीं करता हो" का दण्ड प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतएव उक्त के परिप्रेक्ष्य में, मैं आलोक कुमार, अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं सक्षम प्राधिकारी अपने प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, श्री हुसन लाल राव (92019) तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, बाँदा को एतद्द्वारा कारपोरेशन की **"सेवा से हटाना जो भविष्य में नियोजन से निरर्हित नहीं करता हो"** का दण्ड प्रदान करता हूँ।

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

पंजीकृत

श्री हुसन लाल राव (92019)
तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता (रा0)
निवासी–1 / 1752 / 1 ए,
ओजपुरा, सहारनपुर।

399-ई (आदेश) दिनेश सर

संख्या– 1125 –(i) शि0जां0–05(ई)/पाकालि/2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

पंजीकृत

1. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, "ऊर्जा भवन" 220 के0वी0 उप संस्थान, बाईपास रोड, आगरा।
2. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. संयुक्त सचिव (अ0प्र0–01), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. उपसचिव (अ0प्र0–02ब), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, बाँदा।
8. उप सचिव (विज्ञापन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को 2 अतिरिक्त प्रतियों सहित इस अभयुक्ति के साथ प्रेषित कि आदेश का प्रकाशन दैनिक हिन्दी समाचार पत्र "दैनिक जागरण" बाँदा, सहरनपुर एवं लखनऊ तथा दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र "Hindustan Times" में कराकर उसकी कटिंग सहित सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. संयुक्त सचिव (अनु0कार्य0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. उप सचिव (गोपन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. अभिरक्षण पत्रावली।

आज्ञा से,

28/7

(संजीव कुमार)
सचिव (05ई)